



-1-

234

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र.

/16 विविध

विवेद - ७०९ - II

1. कौशल्यादेवी पत्नि पूरनलाल बानिया
निवासी छतरपुर (म.प्र.)
2. कामता प्रसाद पुत्र बृजगोपाल ब्राह्मण
निवासी छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन

..... अनावेदक

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 8 एवं 32 म.प्र.भू.रा.सं. 1959
अधीनस्थ न्यायालय अधीक्षक भू-अभिलेख भू-प्रबंधन के प्रकरण
क्रमांक 139/अ-6-अ/05-06 में पारित आदेश दिनांक
23.11.06 का पालन कराये जाने हेतु।

माननीय महोदय,

आवेदकगण निम्न प्रकार से निवेदन करते हैं।

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अधीक्षक भू-अभिलेख भू-प्रबंधन के द्वारा
दिनांक 23.11.06 को निम्न आदेश पारित किया –

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि – आवेदकगण कामता प्रसाद ब्राह्मण
एवं कौशल्या देवी पत्नी पूरन बानिया निवासीगण छतरपुर ने न्यायालय में
उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि भूमि खसरा
नं. 254 रकवा 6.80 एवं 753 के कुल रकवा 3.80 एकड़ में से 180 एकड़
स्थित ग्राम पलौठा की भूमि संवत् 2011 एवं 2015 में गैरहकदार के रूप
में आवेदकगणों के नाम वर्ग-6 पर शामिल खाते में दर्ज थी जिसे नायब
तहसीलदार छतरपुर के द्वारा भूमि खसरा नम्बर 254 रकवा 6.80 एवं 753
रकवा 3.80 में से 1.80 एकड़ वर्ष 1974-75 की नामांतरण पंजी क्रमांक
21 में पारित आदेश दिनांक 29.10.75 के अनुसार गैरहकदार से भूमि
स्वामी घोषित करते हुए आवेदकगणों के पक्ष में रिकॉर्ड सुधार किया गया
था परन्तु पटवारी हल्का ग्राम पलौठा की भूमि भूल से उक्त आदेश
पटाधारी अभिलेख में दर्ज नहीं हो पाने से आज भी उक्त भूमियाँ
मध्यप्रदेश शासन दर्ज हैं। पटवारी रिकॉर्ड अद्यतन कराना राजस्व
अधिकारियों का उत्तरदायित्व है। आवेदकगणों ने इसी परिप्रेक्ष्य में

P/N

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-----

विविध प्रकरण क्रमांक ९००९-एक/१७

जिला छतरपुर

स्थान तथा

दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अ

आदि के हस्ता

18-१-१७

आवेदकगण के अभिभाषक ने अधीक्षक भू अभिलेख भू प्रबंधन छतरपुर के प्रकरण क्रमांक १३९ अ-६-अ/२००५-०६ में पारित आदेश दिनांक २३-११-२००६ के पालन कराये जाने हेतु मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, १९५९ की धारा ८ सहपठित ३२ के अंतर्गत यह विविध आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

२/ प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अधीक्षक भू अभिलेख भू प्रबंधन छतरपुर के प्रकरण क्रमांक १३६ अ-६-अ/२००५-०६ में पारित आदेश दिनांक २३-११-२००६ के पालन कराने हेतु यह विविध आवेदन राजस्व मण्डल में दिनांक ६-१-१७ को प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगण के अभिभाषक से अपेक्षा की गई कि वर्ष २००६ के आदेश के पालन कराने का प्रयास १० वर्ष से अधिक अवधि तक क्यों नहीं किया गया ? आवेदक के अभिभाषक समाधान नहीं करा सके। उनसे यह भी अपेक्षा की गई कि बतायें, यदि अधीक्षक भू अभिलेख भू प्रबंधन छतरपुर के प्रकरण क्रमांक १३६ अ-६-अ/२००५-०६ में पारित आदेश दि. २३-११-२००६ का पालन तहसील स्तर के कर्मचारियों/

KM

अधिकारियों द्वारा नहीं किये जाने पर उनके द्वारा न्यायालय अवमानना अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही क्यों नहीं की गई, इसका भी वह समाधान नहीं करा सके। अतएव विविध आवेदन अवधि-वाह्य पाये जाने से गुणदोष पर विचार किये बिना इसी-स्तर पर निरस्त किया जाता है।



सरदार पटेल